[29/12/2020]

प्रश्न सं. 1 क्र. 510

मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 28/05/2018

कमांक 1(ए)32/2011/50–1 :: सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1–06/2017–एक(1) दिनांक 17.4.2018 द्वारा म.प्र. शासन कार्य (आवंटन) नियम में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन भाग (इ) के शीर्षक में विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय, तथा कार्यालय संबंधी अनुकमांक (1) एवं (2) का लोप करते हुये उसके पश्चात अनुकमांक (3) "संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश" अन्तःस्थापित किये जाने के अनुक्रम में विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 27.4.2018 द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 13.3.2012 द्वारा गठित, "एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय" एवं "महिला सशक्तिकरण संचालनालय" के स्थान पर "**संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश**" गठित किया गया है।

2/– विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक 27.4.2018 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. संभाग स्तर पर संचालित कार्यालय संभागीय, संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा एवं कार्यालय, संभागीय उप संचालक, महिला सशक्तिकरण के स्थान पर अब "**कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास**" होगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर संचालित कार्यालय, जिला कार्यकम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, एवं कार्यालय, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, महिला सशक्तिकरण के स्थान पर अब "**कार्यालय, जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास**" होगा।
2. कार्यालय, विशेष सुधार गृह/बाल संप्रेक्षण गृह/महिला उद्धार गृह/बाल भवन/पश्चातवर्ती गृह/बाल गृह/शिशु गृह/नारी निकेतन केन्द्र/राजकीय अनुरक्षण गृह/ऊषा किरण केन्द्र, आदि यथावत संचालित रहेंगे। उक्त कार्यालय तथा उनमें पदस्थ अमला अब संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के प्रशासकीय नियंत्राधीन होगा।
3. विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी संवर्ग में स्वीकृत 313 पदों में से भरे हुये पदों पर पदस्थ अधिकारियों को बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पदों पर पदस्थ करने हेतु संचालनालय, महिला एवं बाल विकास स्तर से शीघ्र ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। शेष बचे विकासखंड सशक्तिकरण अधिकारियों की जिलों में

Vijay Rathore (Order)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

ऊषा किरण योजना के तहत जिला स्तर पर स्वीकृत प्रशासक के पदों पर पदस्थापना की कार्यवाही की जायेगी । विकासखंड सशक्तिकरण अधिकारी के पदो के समापन अथवा युक्तियुक्तरण हेतु पृथक से निर्णय लिया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(पी. के. ठाकुर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ0 कमांक 1(ए)32/2011/50-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28/05/2011

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग
2. अपर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल
4. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, भोपाल
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.
6. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास म.प्र.
8. समस्त जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास म.प्र.
9. समस्त परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास म.प्र.
10. समस्त विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

Vijay Rathore (Order)